न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–338/26
चौथम थाना कांड संख्या–135/2026
रघुनंदन शर्मा – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–II,
अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

04.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **रघुनंदन शर्मा** की ओर से चौथम थाना कांड सं0–135/26, धारा–126(2), 115(2), 109, 3(5) BNS तथा संशोधित धारा–3(1)(r)(s), 3(2)(v) SC/ST अधिनियम एवं 27 जे0जे0 अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में दाखिल आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया, जिसे उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णा कुमार मेहता के द्वारा संचालित किया गया है। जमानत की प्रति अभियोजन पक्ष को दी गयी है। पुकार पर आवेदक न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस इस मामले में दुश्मनी एवं ग्रामीण राजनीति के कारण झूठा फंसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। धारा–SC/ST अधिनियम एवं 109 BNS को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय है तथा उक्त धाराएं आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है। बाद में अनुसंनाक पर राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में SC/ST अधिनियम एवं 27 जे0 जे0 अधिनियम जोड़ा गया है। प्राथमिकी तीन दिनों के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक 67 वर्ष का है और वह नेत्र रोग से पीड़ित है। पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा सह–अभियुक्त को जमानत प्रदान किया गया है तथा आवेदक का यह मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–338/26
चौथम थाना कांड संख्या–135/2026

लगातार
04.06.2026

होगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सूचक के आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 20.04.2026 को सूचक पुत्री (पीड़िता) उम्र 16 वर्ष अपने मौसा के यहाँ मोहनपुर गई थी, देर शाम अपने मौसा के घर से चली, जैसे विनोद शर्मा के दरबाजे के नजदीक आयी, उसे अकेले देख विनो शर्मा, रंजीत शर्मा, रघुनन्दन शर्मा, समत शर्मा, दिलीप शर्मा एवं नंदन शर्मा एकमत होकर उसकी पुत्री को पकड़कर मारपीट करते बहियार की ओर ले जाकर मकई के खेत में मरा समझकर छोड़ दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर सूचक अपनी पुत्री को खोज करने लगे। सुबह में बिनो शर्मा ने हल्का चौकीदार को बुलाकर घायल अवस्था में जिमा लगा दिया। जहाँ से ले जाकर स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया। सुधार नहीं होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौथम लाए, जहाँ से इलाज के बाद खगड़िया भेजा गया है।

उभय पक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में प्राथमिकी आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों पर सूचक की पुत्री को मारपीट कर मरा समझकर मकई के खेत में ले जाकर छोड़ देने का आरोप है, जो सामान्य एवं सर्वव्यापी है। प्राथमिकी में जातिसूचक गाली–गलौज किये जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं है। कथित घटना दिनांक 20.04.2026 की है, जबकि प्राथमिकी विलम्ब से दिनांक 23.04.2026 को दर्ज कराई गयी है, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–10 एवं 11 में अन्य साक्षियों ने बताया है कि पीड़िता मंद बुद्धि होने के कारण वह

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST), खगड़िया।
आपराधिक जमानत आवेदन सं0–338/26
चौथम थाना कांड संख्या–135/2026

लगातार
04.06.2026

मकई के खेत में जाकर छुप गयी थी। जमानत आवेदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जान मारने का आशय प्रतीत नहीं होता है। पूर्व में अन्य सह–अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किया गया है। आवेदक आज स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ऐसी दशा में उसे Cost के साथ जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्ष के तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों एवं ऊपर वर्णित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल इस जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है तथा उसे **मो0–1,000/– (एक हजार) रूपये की राशि Cost के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खगड़िया में जमा करने के निर्देश के साथ,** मो0–10,000/– (दस हजार) रूपये राशि के दो समान प्रतिभूओं द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल किये जाने एवं जाँचोपरान्त, सही पाये जाने पर, जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि **आवेदक/अभियुक्त का दोनों जमानतदार उसके परिवार के निकट संबंधी होंगे।**

लेखापित एवं शुद्धिकृत

संजय कुमार

अपर सत्र न्या0 प्रथम–सह–
विशेष न्यायाधीश (SC/ST),
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	04.06.26
Date of Reserving Judgement/Order	——
Uploading Date	06.06.26
Uploading by	Nikhil Kumar. (D.E.O.)